जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 08.07.2024**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गोकशी में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कटान करने के उपकरण व घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद।

आज दिनांक 08.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं गौकशी की घटनाओं के रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गोकशी की घटना में वांछित 02 अभियुक्तों को कटान करने के उपकरण व घटना में प्रयुक्त मोबाइल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

ज्ञात हो कि दिनांक 05.07.2024 को थाना झिंझाना पुलिस को झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत पुरमाफी के जंगल में गोकशी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.मोमीन पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.चांद पुत्र शाहिद निवासी मोहल्ला रेतेवाला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1.कटान करने के उपकरण (01 दाव, 02 छुरी, 03 रस्सी आदि) ।

2.घटना में प्रयुक्त 01 कीपैड मोबाइल फोन (लावा कम्पनी)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0निरी0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री फतेह सिंह प्रभारी सर्विलांस सैल जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.हे0का0 मोहित कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।

6.हे0का0 दीपक कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।

7.हे0का0 अशोक कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

8.हे0का0 अमित सांगवान थाना झिंझाना जनपद शामली।

9.का0 सुशील कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।

10.का0 मनीष कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।

11.का0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

12.का0 मोहित कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।

कोतवाली झिंझाना

थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 08.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 02.07.2024 को थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.कन्हैय्या पुत्र बिसम्बर निवासी ग्राम जसाला थाना काँधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना काँधला जनपद शामली।

2.हे0का0 मोनू सागर थाना काँधला जनपद शामली।

3.हे0का0 नितिन कुमार थाना काँधला जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 08.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 24.01.2024 को थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.अमित राणा पुत्र दलबीर सिंह निवासी फ्रैन्डस कालोनी बहादुरगढ जिला झज्जर (हरियाणा)।
हाल निवासी देवरु रोड गली नं0-4 सोनीपत हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष श्री समयपाल अत्री थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.है0का0 प्रेम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3.है0का0 नितिन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
4.है0का0 विकास थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
5.है0का0 सोहित थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अपहरण के मामलें में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 07 वर्ष के कारावास की सजा व 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

वर्ष 2011 में अभियुक्त अब्दुल वाहिद पुत्र जाहिद निवासी मोहल्ला परिवाली पट्टी भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 528/2011 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 08.07.2024 को माननीय न्यायालय FTC-I मु0नगर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष के कारावास की सजा व 5000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा तथा धारा 366 भादवि में 07 वर्ष के कारावास की सजा व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.अब्दुल वाहिद पुत्र जाहिद निवासी मोहल्ला परिवाली पट्टी भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अवैध हथियार के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

वर्ष 2024 में अभियुक्त आस मोहम्मद पुत्र इकबाल निवासी इकबालपुर थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 20/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 08.07.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा व 1000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.मोहम्मद पुत्र इकबाल निवासी इकबालपुर थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI